भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1094

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 02 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

राजकोषीय घाटे और सामाजिक कल्याण में संतुलन

1094. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं को पर्याप्त रूप से वित्तपोषण सुनिश्चित करन हेतु राजकोषीय घाटे के प्रबंधन के लिए विशिष्ट रणनीतियां बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो राजकोषीय घाटे में कमी के लिए निर्धारित लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपाय वाली कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं की स्थिरता पर राजकोषीय घाटा प्रबंधन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया है;

(घ) इन कार्यनीतियों को कब तक लागू किया जाएगा तथा इसकी प्रगति की निगरानी के लिए कोई मानदंड बनाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने प्रभावी राजकोषीय प्रबंधन और सामाजिक कल्याण पर इसके प्रभाव के संबंध में जानकारी लेने के लिए आर्थिक विशेषज्ञों, हितधारकों और नागरिक समाज संगठनों को शामिल किया है; और

(च) आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों का समर्थन करते हुए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के संदर्भ में इन कार्यनीतियों के प्रत्याशित क्या परिणाम रहे?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(**क**) **और** (**ख**): वित्त वर्ष **2021-22** के लिए बजट भाषण में, यह घोषणा की गई थी कि भारत सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष **2025-26** तक राजकोषीय घाटे के स्तर को सकल घरेलू उत्पाद के **4.5%** से नीचे लाना है। सार्वजनिक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन के लिए पर्याप्त तन्यकता बनाए रखने और सामाजिक कल्याण/विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राजकोषीय समेकन के ग्लाइड पथ की घोषणा की गई थी। इन उपायों में पूंजीगत व्यय और राजस्व वृद्धि पर जोर देने के साथ-साथ राजस्व व्यय को तर्कसंगत बनाने के प्रयास शामिल हैं।

(**ग**) **और** (**घ**): राजकोषीय घाटे के प्रभाव का आकलन वित्त मंत्रालय द्वारा की जाने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। इसने सरकार को कोविड-**19** महामारी के अभूतपूर्व प्रभाव के बावजूद सामाजिक कल्याण परियोजनाओं/विकास कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए अपने सार्वजनिक वित्त का विवेकपूर्ण प्रबंधन करने में सक्षम बनाया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बजट **2021-22** की घोषणा के अनुरूप आवश्यक समेकन हासिल किया जाए।

(**ङ**) **और** (**च**): वित्त मंत्रालय बजट पूर्व परामर्श के भाग के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त मंत्रियों सहित हितधारकों के साथ विधायिका, आर्थिक विशेषज्ञों के साथ बैठकें करता है। इन बैठकों से प्राप्त जानकारी का वार्षिक बजट में उचित रूप से उपयोग किया जाता है।

****